डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मई, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2024

| वर्ष 67 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत दो पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने ड्रोन दीदी योजना के तहत दो पायलट परियोजनाओं के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और एमडी डॉ. अनीश शाह और एमएसडीई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस साल के शुरुआत में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सकें।

कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री तिवारी ने बताया कि कैसे व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की कृषि विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हैदराबाद और नोएडा स्थित एनएसटीआई के दो केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। श्री तिवारी ने कहा कि यह सहयोग राष्ट्र-निर्माण के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, विशेष रूप से नए व्यवसायों में ड्रोन दीदी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर। उन्होंने यह भी कहा कि यह सहयोग महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के मंत्रालय के संकल्प को आगे बढ़ाएगा।

श्री तिवारी ने यह भी उल्लेख किया कि अग्रणी प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारों के साथ पिछले सफल सहयोग पर आधारित, यह पहल एम एंड एम के साथ कई सहयोगी परियोजनाओं की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा, कठोर प्रशिक्षण पद्धतियों और व्यावहारिक सीखने के अनुभवों से, छात्र अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं से लैस होंगे।

डॉ. अनीश शाह ने कहा कि कंपनी के दर्शन के अनुरूप, यह आवश्यक कौशल के साथ महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाएं महिलाओं, खेती और प्रौद्योगिकी के अपनी तरह के पहले संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इस साझेदारी के तहत, एमएसडीई और एम एंड एम हैदराबाद और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) में 20 महिला प्रति बैच के विशेष बैच के द्वारा 500 महिलाओं को कुशल बनाने के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट संचालित करेंगे। इन केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) प्रशिक्षकों के माध्यम से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित 15-दिवसीय पाठ्यक्रम, चलाया जाएगा।

इस साझेदारी के तहत, एनएसटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रतिभागियों के लिए छात्रावास सुविधा और भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों से मेल-जोल बनाएगा। महिंद्रा समूह केन्द्रों पर, सिमुलेशन मशीनरी/ड्रोन, सिम्युलेटर नियंत्रक, सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर, आई 5 प्रोसेसर और प्रशिक्षकों के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से प्रारंभिक सेट-अप सहायता प्रदान करेगा, और डीजीसीए लाइसेंस धारक प्रशिक्षकों की लागत सहित पायलट परियोजनाओं की अवधि के लिए परिचालन लागत को पूरा करेगा।

पायलट परियोजनाओं से मिली सीख और परिणाम देश भर में चिन्हित एनएसटीआई/आईटीआई में ड्रोन दीदी योजना को बढ़ाने में एमएसडीई की सहायता करेंगे। ड्रोन दीदी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, एमएंडएम जल्द ही जहीराबाद, तेलंगाना और नागपुर, महाराष्ट्र में कंपनी के कौशल केंद्रों में महिलाओं के लिए ड्रोन प्रशिक्षण शुरू करेगा।

गर्मियों में करें पशुओ की उचित देखभाल, नहीं तो है लू लगने का खतरा : डॉ दास

दतिया, उपसंचालक डॉ जी. दास ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषक या उद्यमी को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओ के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाये रखने के लिये किन बातो का विशेष ध्यान रखना चाहियें। एक सफल पशुपालक को मौसम में होने वाले परिवर्तनो के अनुसार अपने पशुओ का प्रबंधन करना चाहिए जिससे उनके उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्म हवाओं एवं तापमान अधिक होने पर पशुओं को लू लगने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए इस मौसम में पशु पालकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योकि बेहद गर्म मौसम में, जब वातावरण का तापमान 42-48 डिग्री सेंल्षियष तक पहुँच जाता है और गर्म लू के थपेड़े चलने लगतें हैं तो पशु दवाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दवाव को स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। गर्मी में पशुपालन करते समय नवजात पशुओं की देखभाल में अपनायी गई तनिक सी भी असावधानी उनकी भविष्य की शारीरिक वृद्धि. स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है। गर्मी में पशुपालन करते समय उनके प्रबंधन पर ध्यान न देने पर पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30 प्रतिशत और दूध उत्पादन क्षमता में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए आक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की वीमारियों से लड़नें की अंदरूनी क्षमता पर बुरा असर पडता है और आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार होजाते हैं। पशुओं को भीषण गर्मी, लू एवं तापमान दुष्प्रभावों से कैसे बचाएं पशुधन को भीषणगर्मी, लू एवं तापमान के दुष्प्रभावों के से बचाने के लिए एहतियात बरतने की काफी आवश्कता होती है। गर्मी के दिनों में तेज गर्म मौसम तथा तेज गर्म हवाओं का प्रभाव पशुओं की सामान्य दिनचर्या को प्रभावित करता है। भीषण गर्मी की स्थिति में पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबन्धन एवं उपाय करने की आवश्कता होती है, जिनमें ठंडा एवं छायादार पशु आवास स्वच्छ पीने का पानी आदि पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। गर्मी में पशुओं में लू के लक्षण, बचाव और उपचार वातावरण में नमी और ठंडक की कमी ए पशु आवास में स्वच्छ वायु न आनाए कम स्थान में अधिक पशु रखना और गर्मी के मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी न पिलाना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। लू अधिक लगने पर पशु मर भी सकता है। तेज गर्मी से बचाव प्रबंधन में जरा सी लापरवाही से पशु को श्लूश नामक रोग हो जाता है।

गर्मी में पशुओं में लू लगने के लक्षण: अधिक गर्म समय में लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचौनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, तेज बुखार, हांफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, श्वास कमजोर पड़ जाना उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण है। श्लूश से ग्रस्त पशु को तेज बुखार हो जाता है और पशु सुस्त होकर खाना पीना बन्द कर देता है। शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाडी गति तेज हो जाती है। कभी-कभी नाक से खून भी बहने लगता है। पशु पालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। पशुओं में लू लगने के उपचार पशुपालक कुछ सावधानियां अपनाकर अपने पशुओ को लू से बचा सकते है- डेरी को इस प्रकार बनाये की सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले ध्यान रहे की शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठण्डे स्थान पर बांधे तथा माथे पर बर्फया ठण्डे पानी की पट्टियां बांधे जिसमे पशु को तुरन्त आराम मिले। पशु को प्रतिदिन 1-2 बार ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। पशु के लिए पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में उन्हें अन्दर बांध कर रखें। लू की चपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशुचिकित्सक या चलित पशु चिकित्सा ईकाई 1962 पर फोन कर उपचार व सलाह ले सकते है। पशुओं को एलेक्ट्रोल देनी चाहिए। गर्मी में पशुओं की स्वस्थ के देखभाल और खाने-पीने की व्यवस्था गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक खिलावें, पशु इसे चाव से खाता है तथा हरे चारे में 70-90 प्रतिशत जल की मात्रा होती है, जो समय-समय पर पशु शरीर को जल की आपूर्ति भी करता है। इस मौसम में पशुओं को भूख कम व प्यास अधिक लगती है। इसके लिए गर्मी में पशुओं को स्वच्छ पानी आवश्यकतानुसार अथवा दिन में कम से कम तीन बार अवश्य पिलावें इससे पशु शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाये रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पिलाना भी अधिक उपयुक्त है इससे अधिक समय तक पशु के शरीर में पानी की आपूर्ति बनी रहती है, जो शुष्क मौसम में लाभकारी भी हैं। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन एवं पशु की शारीरिक क्षमता बनाये रखने की दृष्टि से पशु आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गर्मी के समय में पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना चाहिए। इसके दो लाभ है। एक पशु अधिक चाव से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदरपूर्ति करता है, तथा दूसरा हरे चारे में 70-90 प्रतिशत तक पानी की मात्रा होती है, जो समय-समय पर जल की पूर्ति करता है। प्रायः गर्मी में मौसम में हरे चारे का अभाव रहता है। इसलिए पशुपालक को चाहिए कि गर्मी के मौसम में हरे चारे के लिए मार्च, अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काऊपी, चरी आदि की बुवाई कर दें जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। ऐसे पशुपालन जिनके पास सिंचित भूमि नहीं हैए उन्हें समय से पहले हरी घास काटकर एवं सुखाकर तैयार कर लेना चाहिए। यह घास प्रोटीन युक्त, हल्की व पौष्टिक होती है। गर्मी के दिनों में पशुओं को खनिज लवण देना लाभदायक रहता है क्योकि गर्मी के दबाव के कारण पशुओं के पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है और भूख कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक इसलिए

पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम तीन बार पानी पिलाना चाहिए। जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताजा पीने का पानी हमेशा उपलब्ध होना चहिये। पीने के पानी को छाया में रखना चाहिये। पशुओं से दूध निकालनें के बाद उन्हें यदि संभव हो सके तो ठंडा पानी पिलाना चाहिये। गर्मी में 3-4 बार पशुओं को अवश्य ताजा ठंडा पानी पिलाना चहिये। पशु को प्रतिदिन ठण्डे पानी से भी नहलाने की सलाह दी जाती है। भैंसों को गर्मी में 3-4 बार और गायों को कम से कम 2 बार नहलाना चाहिये। पशुओं को नियमित रूप से खुरैरा करना चाहिये । खाने-पीने की नांद को नियमित अंतराल पर धोना चाहिये। रसोई की जूठन और बासी खाना पशुओं को कतई नहीं खिलाना चाहिये । कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, रोटी, चावल आदि पशुओं को नहीं खिलाना चाहिये। गर्मियों के मौसम में पैदा की गयी ज्वार में जहरीला पदर्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अतः इस मौसम में यार्द वारिश नहीं हुई है तो ज्वार खिलाने के पहले खेत में 2-3 बार पानी लगाने के बाद ही ज्वार चरी खिलाना चाहिए। गर्मी के दिनों में पशुओं के आवास प्रबंधनः पशुपालकों को पशु आवास हेतु पक्के निर्मित मकानों की छत पर सूखी घास या कडवी रखें ताकि छत को गर्म होने से रोका जा सके। पशु आवास के अभाव में पशुओं को छायाकार पेड़ों के नीचे बांधे। पशु आवास में गर्म हवाओं का सीधा प्रवाह नहीं होने पावे इसके लिए लकड़ी के फंटे या बोरी के टाट को गीला कर दें, जिससे पशु आवास में ठण्डक बनी रहे। पशु आवास गृह में आवश्यकता से अधिक पशुओं को नहीं बांधे तथा रात्रि में पशुओं को खुले स्थान पर बांधे। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाना चाहिये। पशुओं के आवास के आस पास छायादार वृक्षों की मौजूदगी पशुशाला के तापमान को कम रखने में सहायक होती है। गाय, भैस की आवास की छत यदि एस्बेस्टस या कंक्रीट की है तो उसके ऊपर 4-6 इंच मोटी घास फूस की तह लगा देने से पशुओं को गर्मी से काफी आराम मिलाता है। पशुओं को छायादार स्थान पर बाँधना चाहिये । इन उपायों और निर्देशों को अपना कर पशुपालक द्वारा अपने पशुओं की देखभाल उचित तरीके से की जा सकती है और गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सकता है तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 746332 क्विंटल गेंहू की खरीद

रीवा : जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जा रही है। जिले में 13 मई तक 15466 किसानों से 746332 क्विंटल गेंहू की खरीद अब तक की गयी है। इसके लिए किसानों को 179 करोड़ 11 लाख 98 हजार की राशि मंजूर की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि उपार्जित गेंहू का भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेंहू में से 632182 क्विंटल गेंहू का परिवहन किया जा चुका है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 101 करोड़ 23 लाख 89 हजार 300 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गेंहू खरीदी के लिए अब तक 21563 किसानों ने स्लॉट बुक किये हैं। गेंहू खरीद की अंतिम तिथि 20 मई है।

गेहूं उपार्जन की अवधि में हुई वृद्धि

किसान 20 मई तक कर सकते हैं गेहूं का विक्रय

अनुपपुर :कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि में वृद्धि करते हुए 20 मई 2024 तक बढ़ाई गई है। अब जिले के किसान गेहूं विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्रों पर 20 मई तक स्लॉट बुक कर गेहूं विक्रय कर सकते हैं। उक्ताशय की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री बी.एस. परिहार ने दी है।

इफको ने कृषि समितियों में नैनो यूरिया प्रचार के लिए दिया साउंड सिस्टम

बालाघाट : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के अंतर्गत आने वाली 126 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नैनो यूरिया व डीएपी के प्रचार प्रसार को लेकर इफको बालाघाट द्वारा 03 मई 2024 को मिनी साउंड सिस्टम बैंक मुख्यालय को प्रदाय किया गया। इस अवसर पर बैंक सीईओ आर.सी. पटले, डीडीए राजेश खोब्रागड़े, इफको क्षेत्रीय अधिकारी वैदिक अगाल, प्रबंधक लेखा पी. जोशी, फील्ड अधिकारी राजेश नागपुरे उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री वैदिक ने बताया कि यह पहला अवसर जब बैंक मुख्यालय को इफको नैनो यूरिया, डीएपी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मिनी साउंड सिस्टम प्रदाय किया गया है।

इसी तारतम्य में बैंक सीईओ श्री पटले ने बताया कि इफको द्वारा समिति स्तर पर नैनो यूरिया प्रदाय किया जा रहा है जिसका विक्रय किया जा रहा है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए यह मिनी साउंड सिस्टम कारगर साबित होगा। इसका उपयोग समिति और शाखाओं में होने वाले कार्यक्रमों में किया जावेगा। इस दौरान डीडीए श्री खोब्रागड़े ने कहा कि जिले में इफको नैनो यूरिया, डीएपी की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

बुवाई पद्धति के नवाचार का प्रचार-प्रसार एवं खरीफ पूर्व कार्यशाला आयोजित

शिवपुरी, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल एवं उपसंचालक कृषि जिला शिवपुरी के समन्वय में सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों के बुवाई तकनीक पद्धति के नवाचार के संबंध में आज कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले के नवागत कृषि विस्तार अधिकारियों, सहायक कृषि यंत्री एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के साथ कुल 55 प्रतिभागियों की सहभागिता रही।

कार्यशाला में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहायक कृषि यंत्री इंजी. अंकित सेन द्वारा सोयाबीन की ब्रॉड-बेड-फरो पद्धति की जानकारी दी गई तथा यह भी बताया गया कि किस प्रकार साधारण सीड ड्रिल को ब्रॉड-बेड-फरो सीड ड्रिल में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इस पद्धति से बोनी के क्या-क्या फायदे हैं।

उपसंचालक कृषि यू.एस.तोमर द्वारा जिले के कृषि विभाग के अमले को धान

की डीएसआर पद्धति, मूंगफली में नवीन प्रजातियां एवं बुवाई तकनीक के साथ मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया के लाभ बतलाते हुए जिले के नवागत कृषि के मैदानी अमले को कृषकों तक अधिक से अधिक कृषि तकनीकियों के प्रचार-प्रसार के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। एस.एस. घुरैया, इंजीनियर मनोज रघुवंशी एवं डॉ. किरण रावत सहायक संचालक कृषि भी कार्यशाला में उपस्थित रहे जिनके द्वारा जिले के नवागत कृषि के मैदानी अमले को कृषि विज्ञान केन्द्र एवं विभाग के समन्वय में कृषि की नवीन तकनीकियों को कृषकों तक वृहद स्तर पर पहुंचाने के लिए समझाया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) डॉ. एम. के. भार्गव द्वारा जिले के परिप्रेक्ष्य में खरीफ फसल योजना प्रबंधन एवं तैयारियों के बारे में बतलाया। वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलों की नई किस्मों एवं बीजों की उपलब्धता की जानकारी दी गई तथा डॉ. ए.एल. बसेड़िया वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा बोनी की अन्य उन्नत पद्धतियों जिसमें रिज-फरो तकनीकी पॉवरपाइंट प्रजेंटेशन एवं खेत में प्रायोगिक तरीके से बतलाई गई।

अन्य वैज्ञानिक जे.सी. गुप्ता द्वारा पौध सुरक्षा उपायों के बारे में बतलाया गया। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी योगेश चन्द रिखाड़ी एवं डॉ. नीरज कुमार कुशवाहा द्वारा जल प्रबंधन एवं कृषिवानिकी की पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्य स्टॉफ सतेन्द्र गुप्ता कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल एवं आरती बंसल स्टेनो की भी कार्यशाला के सफल आयोजन में प्रमुख भागीदारी रही।

जिले में बढ़ रहा नैनो उर्वरक का इस्तेमाल

कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ फसल की गुणवत्ता में भी होता है सुधार

जबलपुर : किसानों द्वारा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी उर्वरक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक मूंग एवं उड़द फसलों के फूल एवं फल्लियां बनने की वर्तमान अवस्था में यदि किसानों द्वारा नैनो डीएपी का एक स्प्रे किया जाये तो उनके उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रवि आम्रवंशी ने बताया कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी नैनो तकनीक पर आधारित उर्वरक हैं। इसमें नाईट्रोजन एवं फास्फोरस नैनो यानी सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि फसलों में स्प्रे करने पर पौधों की पत्तियों में पाये जाने वाले स्टोमेटा से पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते है तथा 20 से 25 दिनों तक पौधे के सिस्टम में रहते है। पौधे आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं।

श्री आम्रवंशी के अनुसार नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित करते हैं। इन उर्वरकों के उपयोग से धान में बदरा रहित खेती संभव है। साथ ही फसलों के अविकसित दानों में इन उर्वरकों के प्रयोग से दानों के आकार, वजन, चमक एवं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। नैनो डी.ए.पी. से बीज उपचार करने से लगभग 25 प्रतिशत फास्फोरस की पूर्ती की जा सकती है। खड़ी फसल में भी किसान नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी उर्वरक का प्रयोग कर किसान दानेदार उर्वरकों की लगभग 50 प्रतिशत मात्रा की बचत कर सकते हैं। किसानों द्वारा इन उर्वरकों में कीटनाशक एवं फफूंद नाशक दवा को आवश्यकता अनुसार मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उपयोग फसलों में स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। जिसे फसलों की पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।

नैनो डीएपी का उपयोग बीजोपचार के लिये भी किया जाता है। इसलिए नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की अधिकतम उपयोग क्षमता 90 प्रतिशत हो जाती है। श्री आम्रवंशी के अनुसार दानेदार यूरिया एवं दानेदार डीएपी का उपयोग भूमि में किया जाता है। जो फसलों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर पौधों को प्रदाय किया जाता है। इससे अधिकतर नाईट्रोजन भूमि में लीचिंग से निचली सतह में चला जाता है या वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाती है। फस्फोरस भी जमीन में मिट्टी के कणों के साथ फिक्स हो जाता है। दानेदार उर्वरकों की अधिकतम उपयोग क्षमता 25 से 30 प्रतिशत तक ही होती है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 500 मिलीलीटर की मात्रा के साथ नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 2 सौ 25 रुपए है। इसमें नाईट्रोजन की मात्रा 20 प्रतिशत होती है। नैनो डी.ए.पी की 500 मिलीलीटर की बोतल में नाईट्रोजन 8 एवं फास्फोरस की 16 प्रतिशत मात्रा होती है। इसकी कीमत 600 रुपए है। यह दानेदार यूरिया, डी.ए.पी. की एक बोरी के बराबर फसलों में लाभदायक होती है। प्रति बोरी दानेदार यूरिया, डी.ए.पी. के स्थान पर फसलों में नैनो यूरिया, नैनो डी.ए.पी. का स्प्रे करने पर कृषकों को यूरिया में लगभग 41 रुपए तथा डी.ए.पी. में 7 सौ 50 रुपए प्रति बोरी की बचत होती है। श्री आम्रवंशी के अनुसार आगामी समय में खरीफ फसलों के अंतर्गत मक्का एवं धान की बोनी से पहले 5 मिलीलीटर नैनो डी.ए.पी. से प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार किया जाये तो फसलों का अंकुरण अधिक एवं पौधे की बढ़वार सामान्य से अच्छी होगी तथा फसलों में दानेदार डीएपी की 25 प्रतिशत मात्रा का उपयोग करने पर भी उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है।

चना एवं मसूर उपार्जन केन्द्र

नरसिंहपुर : राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी उपार्जन नीति और भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी सीजन 2023- 24 व विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर उपार्जन का कार्य 26 मार्च से 31 मई 2024 तक की अवधि में किया जाना है।

जिला उपार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2024- 25 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से चना एवं मसूर उपार्जन कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिये जिले में किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 25 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है।

इस सिलसिले में करेली तहसील के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित रामपिपरिया हेतु सेन्ट्रल वेयरहाउस कठौतिया व आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिल्हेटी हेतु स्वनिर्मित गोदाम तीन- ए करेली बस्ती को खरीदी केन्द्र बनाया गया है। तहसील गाडरवारा के अंतर्गत सहकारी विपणन संस्था मर्यादित खुलरी हेतु ऋषभ वेयरहाउस कामती- गाडरवारा, सहकारी विपणन संस्था मर्यादित करेली हेतु नायक देवी प्रभा वेयरहाउस लिंगा बरमान रोड, विपणन सहकारी समिति चीचली हेतु जय किशन वेयरहाउस, प्राथमिक

सहकारी समिति मर्यादित बोहानी हेतु श्री रघवंशी वेयरहाउस कौडिया, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था गाडरवाड़ा हेतु, एमपीडब्ल्यूएलसी गाडरवारा कैम्पेस गाडरवारा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हेतु नर्मदा वेयरहाउस भौरझिर और सेवा सहकारी समिति हर्रई हेतु जैन वेयरहाउस अजंसरा को खरीदी केन्द्र बनाया गया है।

तहसील गोटेगाँव के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित मेख हेतु केजीएन वेयरहाउस उमरिया, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित इमलिया (कामती) हेतु श्री शिवशक्ति एग्रो वेयरहाउस पिंडरई, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था गोटेगांव हेतु मॉ रेवा वेयरहाउस बगासपुर, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित सर्रा हेतु जय मारूति वेयरहाउस सर्रा लाठगांव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सालीवाडा हेतु राव वेयरहाउस कंजई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मगरधा हेतु ओम वेयरहाउस बौछार, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बढ़ैयाखेड़ा हेतु बुद्धेश्वर एग्रो लॉजिस्टिक वेयरहाउस सांकल को खरीदी केन्द्र बनाया गया है।

तहसील तेंदूखेड़ा के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मुर्गाखेड़ा हेतु श्री मॉ वेयरहाउस लोलरी राजमार्ग, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित हिरनपुर (बरमान) हेतु समर्थ सहारा वेयरहाउस चॉवरपाठा, सेवा सहकारी समिति सर्रा हेतु अमलतास एण्ड कंपनी वेयरहाउस रमपुरा, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बिलहेरा हेतु हरसिद्धी वेयरहाउस बिलहरा, सेवा सहकारी समिति बिल्थारी और हरिओम वेयर हाउस हेतु भूमि वेयरहाउस डोभी ईश्वरपुर को खरीदी केन्द्र बनाया गया है।

तहसील नरसिंहपुर के अंतर्गत बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था नरसिंहपुर हेतु अंश वेयरहाउस निंदनी, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित नयागांव हेतु श्री वृंदावन पंडा वेयरहाउस नयागांव धमना और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कोसमखेड़ा हेतु अयान वेयरहाउस भैंसा को खरीदी केन्द्र बनाया गया है। सांईखेड़ा के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था रमपुरा हेतु केशवानंद वेयरहाउस पालीखैरी को खरीदी केन्द्र बनाया गया है।

किसानों से अपील की गई है कि वे भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट रकीम अंतर्गत रबी सीजन 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर उपार्जन हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर से स्लाट बुक कर अपने नजदीकी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं। यह जानकारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नरसिंहपुर ने दी है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आकांक्षा योजना अंतर्गत करें आवेदन

टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजना अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11 वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों में प्रतिक्षित कोचिंग संस्थाओं से (जे.ई.ई., नीट/एम्स, क्लेट) की तैयारी हेतु कोचिंग दिये जाने का लक्ष्य है।

प्रथम वर्ष 2018-19 में कक्षा 11वीं में अध्ययन के साथ-साथ प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर इंजीनियरिंग हेतु 100 एवं मेडिकल हेतु 50 एवं क्लेट हेतु 50 कुल 200 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जायेगी। आगामी वर्ष में कक्षा 12 वीं में उक्त बेच को निरन्तर कोचिंग की सुविधा उपलबध रहेगी।

निर्धारित योग्यता

आवेदक को सर्वपथम विभाग की वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in@MPTAAS में अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। आवेदक के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 6 रूपये लाख से अधिक न हो। विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने की पात्रता हो। कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का कोचिंग हेतु चयन किया जावेगा।

आवश्यक शर्तें

बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य हैं। आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 3. विद्यार्थी का कक्षा 10 वीं परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक हो।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक को सर्वपथम विभाग की वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in@MP-TAAS में अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना आकांक्षा हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन में वांछित जानकारी भरकर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधायें

कोचिंग के साथ-साथ आवास सुविधा एवं कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में शिक्षण की सुविधा।

चयन प्रक्रिया

संबंधित कोचिंग संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, कोचिंग हेतु इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार स्वीकृत सीट अनुसार एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

जिले में स्थापित कुल 177 केन्द्रो पर गेहूँ उपार्जन का कार्य सतत जारी किसानों को 215.39 करोड की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया

नर्मदापुरम : कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में गेहूं उपार्जन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिले में 178 उपार्जन केन्द्रं स्थाजपित किए गए थे जिनमें 177 उपार्जन केन्द्र संचालित है। गेहूँ उपार्जन का कार्य आगामी 20 मई तक किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि ई उपार्जन पोर्टल पर कुल 177 उपार्जन केन्द्र उपार्जन का कार्य कर रहे हैं, इनमें जेव्हीएस गोदाम परिसर स्तरीय 109, शासकीय गोदाम स्तरीय 20 स्टील साइलो स्तरीय 9 एवं समिति स्तरीय कुल 23 उपार्जन केन्द्र तथा मंडी/उपमण्डी स्तरीय 17 केन्द्र संचालित है। बताया गया है कि उपार्जन केन्द्रों पर कुल 28874 किसानों द्वारा स्लॉट बुक किए गए हैं। जिनमें अब तक 15 हजार 553 किसानों ने अपने गेहूं का विक्रय कर चुके हैं। इन किसानों से कुल 1 लाख 73 हजार 281 मे.टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जित गेहूं का परिवहन सतत रूप से किया जा रहा है। अब तक 1 लाख 48 हजार 680 मे.टन गेहूँ का परिवहन किया गया है। साथ ही किसानों को 215.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आज दिनांक तक एफसीआई को 48 हजार 556 मे.टन गेहूं का परिदान किया जा चुका है। साइलो भंडारण में 46 हजार 488 मे.टन उपार्जित गेहूं का भंडारण किया जा चुका है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को गेहूँ उपार्जन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए और कहा की सभी गेहूँ उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए पेयजल एवं छाव की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने खाद-बीज भण्डारण व वितरण की समीक्षा की

हरदा, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने कलेक्ट्रेट में कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी बैंक, मार्कफेड के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में खाद-बीज भण्डारण व वितरण की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होने गेहूँ व चना उपार्जन की प्रगति की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होने निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन की सुविधा का लाभ केवल किसानों को ही मिले, अनाज व्यापारियों को नहीं। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मौसम को ध्यान में रखते हुए उपार्जित किये गये गेहूँ व चने को तत्काल वेयरहाउस में शिफ्ट कराया जाए ताकि बरसात होने पर अनाज खराब न हो। उन्होने उपार्जित किये गये अनाज के लिये समर्थन मूल्य का भुगतान किसानों को लगातार होता रहे, इसके लिये उन्हें इंतजार न करना पड़े।

नरसिंहपुर में ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित

नरसिंहपुर: कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

उक्त जानकारी देते हुए उप संचालक कृषि श्री उमेश कटहरे ने बताया कि अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक/ कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक/ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक/ केंद्र संचालक/ संस्था ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (farmer.mpdage.org) पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर की राशि 5 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा, उनके आवेदन अस्वीकार किये जावेंगे । पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा।

किसान ड्रोन को क्रय करने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुदान की पात्रता यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये, कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं और यदि वे यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपये की राशि से यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपये है, प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी। प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक/ प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम अर्हताएं के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष व 10 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। उपरोक्त प्रशिक्षण शुल्क 30 हजार रुपये जीएसटी अतिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये एवं जीएसटी अभ्यार्थी को वहन करना होगा तथा शेष 60 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क है। जो आवेदक/ प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलाईन आवेदन www.mpdage.org पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें।

संबधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यर्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक/ प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान करना होगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, तो संबंधित आवेदक/ प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।

महात्मा गांधीजी के देश में लोकतंत्र लोगों के दिलों में जिंदा है, हमने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा इंटरनेशनल डेलीगेशन फिलीपीन्स और श्रीलंका से आये दल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिये भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की

भोपाल, भारतीय चुनाव व्यवस्था का अवलोकन और अध्ययन करने के लिये पाँच मई से भोपाल आये फिलीपीन्स और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल ने बुधवार को निर्वाचन सदन भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन से सौजन्य भेंट की। इंटरनेशनल डेलीगेशन ने 5 से 7 मई तक निर्वाचन की प्रत्येक प्रक्रिया के अवलोकन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि महात्मा गांधीजी के देश में लोकतंत्र यहां के लोगों के दिलों में जिंदा है। भारतीय चुनाव को एक पर्व की तरह मनाते हैं। हमने ऐसा उत्सवपूर्ण चुनाव कभी नहीं देखा। लोकतंत्र की मजबूती के लिये यहां के हर मतदाता की आस्था और उसकी अभिव्यक्ति अभिभूत कर देने वाली है। हमने तीन दिनों में बहुत कुछ देखा, समझा और सीखा। इस आनंदपूर्ण चुनाव प्रणाली से हमें प्रेरणा मिली है। हम अपने देश में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की सभी अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करने की अनुशंसा करेंगे।

श्रीलंका के प्रेसीडेंशियल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी टू मेक रिकमंडेशन्स फॉर इलेक्शन लॉ रिफार्म्स' के कमीशन मेम्बर श्री सुंथारम अरूमैनायाहम ने कहा कि मतदान के दिन हमने देखा कि निर्वाचन में नियुक्त हर व्यक्ति बखूबी अपना काम कर रहा था। कोई भी दूसरे के काम में दखल नहीं दे रहा था। मतदाता बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। सभी मतदान केन्द्रों में मतदान की शानदार व्यवस्थाएं थीं।

कमीशन मेम्बर सुश्री निमालका फर्नान्डो ने कहा भारत की निर्वाचन व्यवस्था अभिभूत कर देने वाली है। हम बेहद प्रभावित हैं और श्रीलंका में भी ऐसे ही चुनाव की व्यवस्था के लिये अनुशंसा करेंगे।

फिलीपीन्स के 'कमीशन ऑन इलेक्शन्स' की डायरेक्टर सुश्री सेलिया बी. रोमेरो ने कहा कि हमने मतदान सामग्री वितरण से लेकर मतदान पूरी होने तक की सभी प्रक्रियाओं को करीब से देखा। यह एक चकित कर देने वाला अनुभव था। ईवीएम में हर अभ्यर्थी का नाम, उसका दल, उसका फोटो और उसके चुनाव चिन्ह का भी प्रदर्शन किया गया था। यहां मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी की पहचान करने और उसे चुनने का बेहद सरल और सहज माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। यह एक अनुकरणीय व्यवस्था है।

कमीशन ऑन इलेक्शन्स' की एसोसिएट कमिश्नर सुश्री सोकोर्रो बी. इटिंग ने कहा कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था एक समावेशी प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाताओं को उनकी सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराती है। मतदाताओं को मतदान से जोडने की आपकी प्रणाली से हम अभिप्रेरित हैं। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन को बधाई दी।

श्रीलंका के 'प्रेसीडेंशियल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी टू मेक रिकमंडेशन्स फॉर इलेक्शन लॉ रिफार्म्स' के चेयरमैन जस्टिस वीवेज प्रियसथ गेरार्ड डेप ने कहा कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक अच्छी तस्वीर हमेशा के लिये हमारे दिलों में अंकित हो गयी है। ईवीएम से वोट प्रणाली से हम चकित हैं। आप कितनी खूबी से ईवीएम से चुनाव करा लेते हैं। यहां हर मतदाता के पास उसका अपना पहचान पत्र है। इससे किसी भी मतदाता को मतदान करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हम ऐसी ही समन्वित चुनाव प्रणाली की अनुशंसा अपने देश के लिये करेंगे।

इन्टरनेशनल डेलीगेशन के अन्य प्रतिनिधि फिलीपीन्स के 'कमीशन ऑन इलेक्शन्स' की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सुश्री लेसली एन सी. कॉनक्विला तथा श्रीलंका के 'प्रेसीडेंशियल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी टू मेक रिकमंडेशन्स फॉर इलेक्शन लॉ रिफार्म्स' के कमीशन मेम्बर श्री अलीसंदारालेज सेनानायके, कमीशन मेंबर श्री अहमद लेब्बे मोहम्मद सलीम, कमीशन मेंबर सुश्री निमालका फर्नान्डो, कमीशन मेंबर श्री विथारानागे दीपानी सामंथा रॉडरिगो, कमीशन मेंबर श्री एलन करमाइकल वेरे तंबिनायागम डेविड सहित कमीशन सेकेट्री श्री माधवा देवासुरेन्द्र भी इस अवसर पर मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने इंटनेशनल डेलीगेशन के सभी सदस्यों का शॉल-श्रीफल से सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किये। श्री राजन ने कहा कि आपका आतिथ्य हमें उत्साहित कर देने वाला अवसर है। श्री राजन ने इंटरनेशनल डेलीगेशन को बताया कि 7 मई को हमने नौ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ सभी क्षेत्रों में शाम छह बजे तक एक साथ मतदान कराया। यह प्रक्रिया समावेशी प्रबंधन के साथ पूरी कराई गई। इसके लिये मानव संसाधन और लॉजिस्टिक्स की एक बड़ी व्यवस्था करनी होती है। श्री राजन ने डेलीगेशन को चार जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनोज खत्री, श्री बसंत कुर्रे, श्री तरूण राठी, श्री विवेक श्रोतिय एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला सहित निर्वाचन सदन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कहानी

सहकारिता की सुगंध

उस बगीचे में तरह-तरह के फूल खिले थे। गेंदा, गुलाब, चम्पा, चमेली नाना प्रकार के फूलों की मनोरम छटा से बगीचा सुंदर दिख रहा था और बगीचे देखने आते बहुत से लोग जहॉ फूलों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वहीं स्वयं के सौभाग्य को भी सराह रहे थे, लेकिन लोगों में इस संबंध में मतभेद भी थे। कुछ लोगों का सोचना था कि सभी फूल एक जैसे होते तो ज्यादा सुंदर दिखते। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा हो। हैं। प्रत्येक फुल अपने प्रकार और अपने रंग की महिमा का गुणगान कर रहा है। अपने डेढ़ चावल की खिचड़ी सबकी अलग-अलग पक रही है। सभी फूलों के रंग अलग-अलग दिख रहे, इतने में ही बगीचा देखते हुए एक बालक ने अपनी माँ से कहा कि- 'मॉ इतने सारे रंग मिलकर कितने अच्छे लग रहे हैं लेकिन बालक की यह टिप्पणी आलोचक समुदाय को संतुष्ट नहीं कर पाई।

अचानक तेजी से हवा चली और सभी फूलों की सम्मिलित सुगंध से बगीचे में घूम रहे सब लोग आनंद ले नहा गए। अब बगीचे में सभी लोगों के स्वर में फूलों की सुगंध और ताजगी की चर्चा की। लोगों का ध्यान अब उस बालक की ओर भी आकर्षित हुआ, जिसने फूलों के विभिन्न रंगों के समन्वित और सहयोगात्मक स्वरूप को सुंदर बताया था। बालक की मॉ ने भी अब अपने बेटे को प्यार से देखा और कहा कि फूलों के रंग चाहे कितने भी प्रकार के हों, कर्म सभी का एक ही होता है, अपनी सुगंध फैलाना।

यह सब देख सुनकर मैं सोच रहा था कि इन फूलों का परस्पर सहयोग कितना सुंदर और प्रेरणादायी है।

यशोवर्धन पाठक
प्राचार्य से.नि. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर

कमजोर जनजातीय समूहों की लोकतंत्र में सहभागिता के लिये आयोग के प्रयास रंग लाये प्रदेश में बैगा एवं भारिया जनजातीय

भोपाल। समूह के मतदाताओं ने भारी उत्साह से किया मतदान भोपाल: देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए पिछले दो वर्षों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों के प्रतिफल अब सामने आने लगे हैं। लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश के जनजातीय समूहों ने पहले और दूसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पीवीटीजी को शामिल करते हुए मतदाताओं के रूप में उनके नामांकन और मतदान में भागीदारी के लिए पिछले दो वर्षों में विशेष प्रयास किए हैं। मतदाता सूची के अपडेशन के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, जहां पीवीटीजी निवास करते हैं, मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष आऊटरीच कैम्प आयोजित किए गए थे। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने पीवीटीजी को देश के गौरवशाली मतदाताओं के रूप में नामांकित और सशक्त बनाने के लिए आयोग के विशेष प्रयासों पर जोर दिया गया।

मध्यप्रदेश में बैगा और भारिया जनजातीय मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर किया मतदान

भोपाल। मध्यप्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया तीन पीवीटीजी हैं। प्रदेश में 23 जिलों की कुल 9 लाख 91 हजार 613 आबादी में से 6 लाख 37 हजार 681 पात्र मतदाता हैं और ये सभी मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। राज्य में अब तक हुए दो चरणों के मतदान में बैगा और भारिया जनजाति के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। यह मतदाता सुबह - सुबह ही अपने मतदान केंद्र पर पहुँच गए। मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उत्साह से मतदान किया। इन मतदाताओं की सुविधा के लिये दुर्गम क्षेत्र में भी नये मतदान केन्द्र स्थापित किये गए थे।

सहकारिता विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों हेतु न्यायिक कार्यों के निष्पादन सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के विषय में प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म प्र के निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित संघ भोपाल के द्वारा सहकारिता विभाग के नव-नियुक्त सहायक आयुक्तों हेतु " न्यायिक कार्यों के निष्पादन सहकारिता अधिनियम एवं नियमों" के संबंध में दिनांक 22.04.24 से श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक म. प्र. सहकारी राज्य संघ के मार्गदर्शन में सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिता विभाग के अनुभवी विषय विशेषज्ञों एवं न्यायिक विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

दिनांक 27.04.2024 कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ श्री चंद्रेश कुमार खरे से.नि. जिला जज एवं अध्यक्ष सहकारी अधिकरण द्वारा सहकारी न्यायिक ढांचा एवं विभिन्न सहकारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार एवं श्री पी डी मिश्रा सेवा निवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा भारत में न्यायिक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 29.04.2024 कार्यक्रम में श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारिता के अंतर्गत उदभूत प्रमुख न्यायिक प्रकरण विषय एवं प्राकृति, सहकारिता अधिनियम 1960 में न्यायालयीन कार्यवाही के निराकरण से संबंधित प्रावधान एवं श्री प्रदीप नीखरा से. नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1962 मे न्यायालयीन कार्यवाही की प्राक्रिया, श्री उमेश तिवारी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप सचिव निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा न्यायालयीन प्रकरण का पंजीयन एवं ग्राहिता के निर्धारण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 30.04.2024 कार्यक्रम में श्री श्रीकुमार जोशी से नि संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 बी मे प्रस्तुत प्रकरण, श्री प्रदीप नीखरा से. नि . संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 - 65 मे प्रस्तुत विवाद एवं परिसीमा एवं श्री उमेश तिवारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप सचिव निर्वाचन प्राधिकारी विषय विशेषज्ञ द्वारा,

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19 एवं 55 के प्रकरण एवं धारा 84 में प्रस्तुत प्रकरण एवं उनका निराकरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 01.05.2024 को श्री भरत कुमार व्यास अतिरिक्त सचिव विधि विधायी विभाग म प्र शासन विषय विशेषज्ञ द्वारा साक्ष्य अधिनियम एवं साक्ष अंकन एवं श्री श्रीकुमार जोशी से नि संयुक्त आयुक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा वाद प्रश्नों की संरचना एवं उनका निर्धारण बाद प्रस्तुत करना सूचना पत्र आदि एवं श्री उमेश तिवारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप सचिव निर्वाचन प्राधिकारी विषय विशेषज्ञ द्वारा धारा 66, 67, 68 विवाद का निपटारा निपटरें की प्रक्रिया एवं अटैचमेंट विफोर अवार्ड, श्री प्रदीप नीखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960-72 (क) 73-74 के प्रावधान एवं प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 01.05.2024 कार्यक्रम में श्री हर्ष सिंह बेहरावत अतिरिक्त सचिव विधि विधायी विभाग म.प्र. शासन विषय विशेषज्ञ द्वारा सी.पी.सी. (सिविल प्रोसीजर कोड) प्रावधान, लिमिटेशन, श्री श्रीकुमार जोशी से नि संयुक्त आयुक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा न्यायालयीन निर्यणों में पारदर्शिता एवं प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत श्री पी.एस. तिवारी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा न्याय निर्णय के आधारभूत तथ्य एवं श्री प्रदीप निखरा से नि संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा आदर्श निर्णय लेखन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 02.05.2024 कार्यक्रम में श्री संजय मोहन भट्नागर संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की आनलाइन प्रक्रिया, श्री पीएस तिवारी से नि संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा न्याय के आधारभूत एवं मार्गदर्शी सिद्धांत व श्री अरूण माथुर अपर आयुक्त सहकारिता एवं सदस्य सहकारी अधिकरण विषय विशेषज्ञ द्वारा न्यायालयीन कार्य निष्पादन में उत्पन्न व्यवहारिक समस्या एवं उनका निराकरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 08.05.2024 कार्यक्रम में श्री अभय गोखले से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक द्वारा लेखाकंन का अर्थ, सिद्धांत, दोहरी लेखा प्रणाली, श्री अतुल दुबे प्रो बी एस एस एस कालेज भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत एवं संस्था के संचालन मे उसका महत्व, श्री पी.के. एस परिहार से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक द्वारा बैकिंग संस्थाओं मे वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 09.05.2024 कार्यक्रम में श्री अभय गोखले से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा खातों का वर्गीकरण खातों को नामें एवं जमा करने के नियम, जर्नल प्रविष्टि, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय श्री अरूण मिश्रा संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा बी- पैक्स प्रावधान एवं सहाकरी नीति एवं श्री उमेश तिवारी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप सचिव निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पंजीयक को भेजे जाने वाले प्रमुख प्रपत्र पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 13.05.2024 कार्यक्रम में श्री अभय गोखले से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा कैश बुक, जनरल लेजर निर्धारित प्राफार्मा, संधारण के नियम एवं लेखाकंन अभ्यास, श्री अरूण मिश्रा संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा बी - पैक्स प्रावधान एवं सहाकरी नीति, श्री अंशुल अग्रवाल चार्टर्ड एकांउटेंट विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारी समिति मे काराधान के प्रावधान जी एस टी एवं आयकर, टी डी एस रिटर्न, श्री पी.के.एस. परिहार से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक भोपाल विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारी बैंकिंग एवं अन्य संस्थाओं में वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण दिनांक 14.05.2024 कार्यक्रम में श्री अभय गोखले से नि प्रबंधक अपेक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा बैंक समाधान एवं उनका लेखाकंन अभ्यास अवक्षयण की विभिन्न पद्धतियां तलपट बनाना एवं त्रुटियों का निराकरण, श्रीमति ज्योति कुम्भारे उपायुक्त सहकारिता द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं ई-कॉपरेटिव, श्री अतुल दुबे प्रोफेसर बी एस एस एस कालेज भोपाल द्वारा व्यवसाय विकास एवं नियोजन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 14.05.2024 कार्यक्रम में श्री अभय गोखले से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा व्यापारिक पत्रक, लाभ-हानि, बैलेंस शीट बनाना एवं उनका लेखाकंन अभ्यास, श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारी संस्थाओं में अंकेक्षण का महत्व, आवश्यकता, प्रभाव, अंकेक्षित वित्तीय पत्रक एवं अन अंकेक्षित वित्तीय पत्रको में अन्तर श्री प्रदीप नीखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) के कार्य एवं अधिकारी एवं दायित्व पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विकास आयुक्त (ह.) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी. एच. सी. डी. एस.) परियोजना की गई विस्तृत समीक्षा

राज्य सहकारी संघ द्वारा क्रियान्वित वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस.) के कार्यों की गई सराहना : अमृतराज

भोपाल। सी.एच.सी. डी. एस. परियोजना वर्ष 2023-24 की समीक्षा बैठक दिनांक 19.04.2024 को मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड कार्यालय में श्रीमति अमृत राज, विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्रीमति विदिशा मुखर्जी, अति. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, श्री मनोज कुमार सरेआम पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. सहकारिता विभाग, श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक (ह.) कार्या. विकास आयुक्त (ह.) हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, भोपाल, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, राज्य संघ, श्रीमति मीनाक्षी बान, पर्यवेक्षक सी.एच.सी.डी.एस राज्य संघ, श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, सचिव, विशेषज्ञ संस्था सीड, श्री मनोज कुमार सिंह, अपर संचालक म.प्र. पर्यटन बोर्ड भोपाल उपस्थित रहें।

समीक्षा बैठक का प्रारंभ श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ द्वारा अध्यक्ष मेडम को पावरपॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश के 12 जिलों में संचालित वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी की गई राशि को पूर्ण रूप से उपयोग करने पर श्रीमति अमृत राज, विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की सराहना की गई एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा तालियों की करतल ध्वनी से प्रशंसा की गई। बैठक में टूलकिट खरीदी के कार्यवाही विवरण की प्रक्रिया को सराहा गया एवं प्रक्रिया को विकास आयुक्त हस्तशिल्प स्तर पर भी उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना की वर्ष की उपलब्धि पर प्रशंसा के साथ-साथ विकास आयुक्त (ह.) द्वारा बैठक में लक्षित कार्यों हेतु सुझाव भी प्रदान किये गये जो निम्नानुसार हैं

1. मशीन का एक्सपोजर - नर्मदापुरम क्लस्टर में टेराकोटा काफ्ट के उत्पाद तैयार करने के लिए उपयोगी मिट्टी की ढलाई हेतु मशीन का एक्सपोजर विजिट एवं हर प्रकार की मिट्टी के उपयोग से टेराकोटा प्रोडक्ट तैयार करने की तकनीक / मशीनरी का प्रयोग हो।

2. कॉर्पोरेटिव सोसायटी / प्रोडयूसर ग्रुप कंपनी बनाना कॉर्पोरेटिव सोसायटी / प्रोडयूसर ग्रुप कंपनी बनाने के कार्य में तेजी लाए।

3. टूलकिट की आवश्यकता व उपयोगिता के संबंध में टूलकिट शिल्पियों का फीडबैक शिल्पियों का फीडबैक लिया जाए।

4. नेशलन हेण्डीक्राफ्ट पोर्टल निर्माण- संघ के कोपक्राफ्ट पोर्टल को नेशलन हेण्डीक्राफ्ट पोर्टल से लिंक करें एवं पोर्टल का प्रचार प्रसार करें।

5. कॉपोरेटिव सोसायटियों से लिंक भविष्य में 12 क्लस्टरों की कॉर्पोरेटिव सोसायटियों के साथ-साथ अन्य जिलों की कॉपोरेटिव सोसायटियों को भी लिंक किया जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाऐं इस हेतु एफपीओ कॉपरेटिव के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

6. हार्ड इन्टरवेंशन - हार्ड इन्टरवेंशन का कार्य जल्द पूर्ण किया जाए सीएफसी इनोगरेशन में सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को आमंत्रित किया जा सकता है। साथ ही हार्ड इंटरवेन्सन गतिविधियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें।

7. टीए/डीए/डीबीटी हेतु टेनिंग/ डिजाइन - टीए / डीए / डीबीटी हेतु टेनिंग / डिजाइन या अन्य कार्यक्रम शुरू होने के पहले दिन ही शिल्पी के बैंक खाते को मैप कर उसमें रू1 टांस्फर कर चेक कर लिया जाए जिससे मानेदय देने में देरी से बचा जा सकता है।

8. स्टेटमेंट ऑफ एक्पेंडिचर जमा करना - सीएचसीडीएस योजनान्तर्गत जो राशि आंवटित हुई है उसका स्टेटमेंट ऑफ एक्पेंडिचर यथाशीघ्र जमा करें।

9. मार्केटिंग इवेंट पर्यटन स्थलों में आयोजित करने के विकल्प पर भी विचार करें।

10. मार्केटिंग इवेंट में फूड स्टॉल मार्केटिंग इवेंट में फूड स्टॉल लगवाए जाए। सीएचसीडीएस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही हेतु रू 5 करोड़ का बजट मई माह में प्रदान किया जाएगा।

11. सॉफ्ट इंटरवेशन कार्यक्रमों वित्तीय वर्ष 2023-24 में सॉफ्ट इंटरवेशन कार्यक्रमों में शेष बची राशि को स्टडी टूर हेतु उपयोग किया जा सकता है तदानुसार प्रस्ताव तैयार कर हस्तशिल्प कार्यालय को प्रेषित करें।

12. अधिक उपयोगी गतिविधियों को शामिल करने सेमीनार गतिविधियों को संख्या कम करके अधिक उपयोगी गतिविधियों को शामिल करने पर विचार करे।

13. एक्जीविशन गतिविधियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें।

14. सूचना तंत्र प्रशिक्षण के भावी प्रतिभागियों को पूर्व सूचना देने हेतु सूचना तंत्र बनायें।

15. पंरपरागत पहचान को बनाये - विभिन्न शिल्पों की पंरपरागत पहचान को बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

16. पी.एफ.एम.एस. पर सहकारी बैंकों को मान्यता पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर प्रदेश की सहकारी बैंकों को मान्यता देने हेतु लिखा जाऐ।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।